Serial No. 2936 Circle:-:Patna Book No. :- 1 Deed No. 2815



बिहार BIHAR A 560759

Serial No. 2936 क्रेता का नाम एवं पता Deed No. 2815

Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **11/03/2019** by **Gita Devi**
A Stamp Duty of Rs. **376000**/- and other Fees of Rs. **21500**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **2815** in Book No. **1**, Volume No. **64** on pages from **559** to **577** and has been preserved in total **19** pages in C.D. No. **9** / Year **2019**

Date 15/03/2019 Token No: 2951 /2019

Signature with Date
(**Satya Narayan Choudhary**)
Registering Officer, Patna

PARTNER

SCANNED BY

For Horizon Hainht Construction
Partner

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक **11.03.2019** को (1) श्रीमती गीता देवी, पति का नाम स्व. अरविन्द कुमार सिंह,


आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AAMFH0355F

नाम / Name
HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation/Formation
26/03/2019

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION

Santosh Keshri

PARTNER

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION

Partner

Registry Office,Patna

Token Number 2951 Reg. Year 2019 Serial Number 2936 Deed Number

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Executant	Sushila Sinha						
Sig.	Sushila Sinha 11/3/2019						
Identified By	Ashok Kumar Ashok Kumar						
Sig.	11/3/19						

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2800sop886

For HORIZON HEIGHT CO
Santosh Kesh
PARTNER

For Horizon Height Construction
Partner

थाना नं.- 2, तौजी नं.-5508, खाता नं.- 684, प्लौट नं.- 1640 (एक हजार छह सौ चालीस) में एराजी लगभग- 4 कट्ठा (चार कट्ठा) है। पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची-I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पति जमीन मालिकगण की मौरूषी सम्पति है जो सर्वे खतियान में रामउग्रह महतो के नाम दर्ज है। खतियानी रैयत राम उग्रह महतो के पुत्र लाल बाबु सिंह के स्वर्गवास कर जाने के बाद उनकी सम्पतियों का बंटवारा चार हिस्सों में बंटवारा वाद संख्या- 51/80 सबजज-II पटना के न्यायालय से हुआ, जो श्री अरविन्द कुमार सिंह पिता स्व. लाल बाबू सिंह, श्री रविन कुमार सिंह पिता स्व. लाल बाबू सिंह, श्री सुरेन्द्रकुमार सिंह पिता स्व. लाल बाबू सिंह एवं श्रीमती राज कुंवर देवी पतिस्व. लाल बाबू सिंह को बराबर-बराबर हिस्सा (रकवा- 9.5 कट्ठा- 9.5 कट्ठा) सभी हिस्से दार को प्राप्त हुआ, और अपने हिस्से में मिली सम्पति पर राजकुंवर देवी स्वामिणी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए अपने पीछे तीन पुत्र अरविन्द कुमार, श्री रविन कुमार सिंह एवं सुरिन कुमार सिंह उर्फ सुरेन्द्र कुमार सिंह तथा तीन पुत्री श्रीमती सुशीला सिन्हा, नीलम कुमारी एवं रंजना कुमारी उर्फ इंगला देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गयी। बाद में अरविन्द कुमार भी अपने पीछे अपनी पत्नी गीता देवी को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। इस तरह सभी लोग अपने-अपने हिस्से की सम्पति पर स्वामी के रूप में निर्विबाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते चले आ रहे है तथा जमाबंदी संख्या- 4995 पर गीता देवी के नाम से लगान भुगतान कर रसीद कटाते चले आ रहे है।

यह कि बाद में नीलम कुमारी ने अवर न्यायाधीश चतुर्थ, पटना के न्यायालय में एक स्वत्व वाद संख्या- 334/2002 दायर किया, जिसमें दिनांक 02.08.2018 को सुलहनामा पत्र दाखिल किया गया; जिसमें सामुहिक रूप से परिवार में यह निर्णय हुआ कि उक्त जमीन पर एक बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जाये तथा तीनों बहनों को दो-दो फ्लैट हिस्से में दिया जाये जो लगभग- 850-900 वर्गफीट परम निर्मित (Super Builtup Area) क्षेत्र का होगा। उक्त सुलहनामा के अनुसार तीनों बहने यह घोषणा करती है कि भविष्य में वह और उनके उत्तराधिकारीगण अपने भाईयों और बहनों के सम्पति पर कोई दावा नहीं करेगे क्योकि इस बनने वाले ईमारत मे जो फ्लैट बन रहा है वह बहनों को ही दिया जा रहा है। उसमें तीनों

FOR HILL HEIGHT CONSTRUCTION
PARTNER

Sushila Sinha 11/3/2019 Manager (On job)

Rakesh Ranjan 11/3/2019

सचिव कुमार पुत्र गीता देवी 11/3/19

भाईयो या उनके उत्तराधिकारीगण भी कोई दावा नही करेंगे, क्योंकि विकासक जो भी राशि नन एडजेस्टेबल एवं नन रिफंडेबुल दे रहे है वह गीता देवी, रवीन कुमार सिंह एवं उनका परिवार एवं सुरिन कुमार सिंह उर्फ सुरेन्द्र कुमार सिंह ही ले रहे है। उक्त सुलहनामा के अनुसार यह विकास एकरारनामा करने के लिए सभी जमीन मालिक सक्षम है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिकगण पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिकगण को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षो की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तो एवं बंधणो पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची- I की जमीन पर **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान विकासक अपने फर्म के नाम से स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।
2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वस्थ किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नही पहुँचायेंगे और यह भी कि जमीन मालिक किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में विकासक को इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।
3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते है कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।
4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

पवेल कुमार सिंह गीता देवी
11/3/2019 11/3/19

For M/S ZION HEIGHT CONSTRUCTION
Santosh Kedia
Partner

For M/S ZION HEIGHT CONSTRUCTION
Rakesh Kumar Singh
11-3-2019

For Ruby Dwelling Pvt. Ltd.
Director

Ramjanam Agarwal / Angela Agarwal
11/3/2019

Sushila Singh
11/3/2019

For Ruby Construction
Rakesh Kumar Singh

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 50 प्रतिशत हिस्सा इस विलेख की अनुसूची- III में वर्णन के अनुरूप निर्मित होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तो और बन्धंणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते है और डेवेलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तो और बन्धंणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची- I में वर्णित है।

9. यह कि डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरुप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वस्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ-ए-आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे। नक्शा स्वीकृति के पश्चात् नक्शा की एक प्रति जमीन मालिक को देंगे।

रविता कुमारी सिंह गीता देवी

11/3/2019

For Horizon Height Constructions

PARTNER

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास-पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर या सरकारी नियम या कानूनी अवरोध या जमीन मालिकगण के अवरोध के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा **2 वर्ष 6 माह** की होगी और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का **छह** महीने का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित **पी.एम.सी.** द्वारा नक्शा स्वीकृति एवं रेरा की स्वीकृति की तिथि से गिनी जाएगी। अगर तय समय पर जमीन मालिक के हिस्से का निर्मित क्षेत्र का दखल कब्जा जमीन मालिक को नहीं दिया गया तो विकासक जमीन मालिक को प्रति फ्लैट 10,000/- रूपया की दर से विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान करेंगे।

13. यह कि जमीन मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के फ्लैट क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिकगण को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के हिस्सेदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को

सचिन कुमार सिंह जीता देवी

11/3/2019

For Horizon Height Constructions

Partner

ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाषक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

16. यह कि यथावर्णित "जमीन मालिकगण का क्षेत्र" पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका इमारत के पूर्णतया तैयार होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु, फ्लैटों में "जमीन मालिक का क्षेत्र" का निर्धारण आपसी मेल-जोल से होगा। अगर छह फ्लैट तीनों बहनों को देने के बाद किसी फ्लैट का एरिया बचता है तो वो डेवलपर एरिया माना जायेगा एवं डेवलपर उस बढ़े हुए क्षेत्र/एरिया का M.V.R. के रेट से जमीन मालिक को राशि का भुगतान करेंगे। सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटरघर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों के द्वारा उपयोग की जाएंगी।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो **पी.एम.सी./संबंधित प्राधिकार** और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते है जिसमें खास बातें निम्नवत है :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों को नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री

For M/S Z.V. HEIGHT CONSTRUCTION

PARTNER

Horizon Height Construction

के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/ lease पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए खरीदारों एवं lease लेनेवालों से विलेख की शर्तों के अनुरुप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रुप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी।

G इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपति नही होगी।

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार एक सम्मिलित नक्शा अथवा अलग-अलग नक्शा बनाकर और अगल-बगल की जमीन लेकर एक योजना अन्तर्गत या खंड-खंड में योजना बनाकर निर्माण करेंगे और हिस्सा अनुसार हिस्से का बंटवारा एवं बिक्रय इत्यादि करेंगे, उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी

जीता देवी
11/3/2019

For Horizon Visual Construction
Partner

जरुरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें सम्मिलित सभी जमीन पर बने ईमारत के लिए होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/ tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें। ऐसी कार्रवाई के लिए किसी भी जमीन मालिक को आपत्ति का अधिकार नही होगा। बंटवारे के अनुरूप एक-दूसरे की जमीन पर बनी ईमारत में भी हिस्सा सम्भावित है, जिसे भी उभय पक्ष स्वीकार करते है। अगर डेवेलपर प्रधिकार से स्वीकृत फ्लैटों के अलावा कोई निर्माण या विचलन करते है तो उसके लिए आर्थिक दण्ड या किसी भी तरह के दण्ड के लिए जिम्मेबार डेवेलपर ही होगें और उस निर्माण के देनदार एवं दावेदार सिर्फ डेवेलपर ही होगें। और जमीन मालिकगण उस निर्माण या विचलन के लिए किसी भी तरह का कोई दण्ड नही भरेगें। और न ही कोई दाबेदारी करेगें। उसकी जिम्मेबार दावेदार या देनदार सिर्फ डेवेलपर ही होगें।

K. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को **पी. एम.सी./सक्षम प्राधिकार** अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत है।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते है :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नही हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नही है।

(iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नही चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION

For Horizon Height Construction

(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नही है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नही है।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नही चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नही है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii). कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत मे डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नही करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम फाउंडेशन के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते है बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा।

20. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तो के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

21. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन **"होराईजन हाईट्स कन्स्ट्रक्शन (HORIZON HEIGHTS CONSTRUCTION)"** के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम "----------अपार्टमेन्ट" होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर

For Horizon Height Construction
Partner

द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **पी.एम. सी./सक्षम प्राधिकार** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुक्सान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुक्सान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्य या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

22. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते है कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते है जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

23. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

24. **पी.एम.सी. (पटना नगर निगम)** द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से **छः** महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते है वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को विलम्ब शुल्क देकर आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर **पी.एम.सी.** के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

रविन कुमार सिंह गीता देवी

11/3/2019 11/3/19

For Horizon Height Construction

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **पी.एम.सी.** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नही होंगे।

29. प्रस्तावित इमारत **पी.एम.सी.** द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यो के लिए जमीन मालिकगण ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत है।

अनुसूची-I

वह आवासीय परती जमीन जो महल्ला- बेहरू नगर, मौजा- मैनपुरा, सर्वे थाना- फुलवारी, हाल थाना- पटलिपुत्रा, जिला-पटना के थाना नं.- 2, तौजी नं.-5508, खाता नं.- 684, प्लौट नं.- 1640 (एक हजार छह सौ चालीस) में एराजी लगभग- 4 कट्ठा (चार कट्ठा) है। यह लेख्य सम्पति पटना नगर निगम, अवर निबंधन कार्यालय पटना सदर तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका वार्षिक लगान मो. 10/- रूपये अलावे सेस बिहार सरकार को अंचलाधिकारी, पटना सदर के माध्यम से जमाबंदी संख्या- 4995 पर भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी

उत्तर	:-	राम श्याम इन्कलेव
दक्षिण	:-	20 फीट चौड़ा सहायक सड़क
पूरब	:-	पार्ट प्लौट संख्या- 1640 श्री इन्द्रभूषण चौधरी
पश्चिम	:-	ई. आशीष कुमार

नोट :- उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2016-17 के न्युनतम दर पंजी के **कोड नं- 616, जोन-3** पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो- 1,75,00,000/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख) रूपया है।

रविन कुमार सिंह गीता देवी

11/3/2019

11/3/19

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION
Santosh Kushwaha
PARTNER

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION
Rakesh Kumar Sinha

Ramjaya Agarwal (Gopal Kumar)
11/31/2019

Sanjeev Sinha
11/3/19

Horizon Height Construction

शेयर विभाजन

जमीन मालिक का हिस्सा :-

सुशीला सिन्हा को

प्रथम तल्ला- दक्षिण-पूरब का कोना वाला फ्लैट

तृतीय तल्ला- उत्तर-पूरब का कोना वाला फ्लैट

नीलम कुमारी को

द्वितीय तल्ला- दक्षिण-पूरब का कोना वाला फ्लैट

द्वितीय तल्ला- उत्तर-पूरब का कोना वाला फ्लैट

रंजना कुमारी को

तृतीय तल्ला- दक्षिण-पूरब का कोना वाला फ्लैट

प्रथम तल्ला- उत्तर-पूरब का कोना वाला फ्लैट

जमीन मालिक को कुल पार्किंग स्पेश का 50 प्रतिशत हिस्सा।

विकासक का हिस्सा :-

प्रथम तल्ला- दक्षिण-पश्चिम का कोना वाला फ्लैट

प्रथम तल्ला- उत्तर-पश्चिम का कोना वाला फ्लैट

द्वितीय तल्ला- दक्षिण-पश्चिम का कोना वाला फ्लैट

द्वितीय तल्ला- उत्तर-पश्चिम का कोना वाला फ्लैट

तृतीय तल्ला- दक्षिण-पश्चिम का कोना वाला फ्लैट

तृतीय तल्ला- उत्तर-पश्चिम का कोना वाला फ्लैट

विकासक को कुल पार्किंग स्पेश का 50 प्रतिशत हिस्सा।

अनुसूची II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।

civil कार्य:- पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, (ए.सी.सी.) सोन बालू, ईट एवं मसाला।

परिसज्जन :- सभी दीवारें तथा भीतरी छत में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें बिड़ला पुट्टी एवं प्राईमर होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का फ्रेम कंपुर साल एवं दरवाजे का मुख्य फ्रेम 5"×2.5", दरवाजे का पल्ला लेमिनेटेड वाटर प्रुफ प्लाई 32एम.एम. का होगा।

खिड़कियाँ :- अल्युमिनियम के फ्रेम में स्लाईडिंग पूर्णतः glazed खिड़कियाँ।

फर्श :- भिट्रीफाईड टाईल्स/जी.भी.टी. ।

For Horizon Heights Construction

Rakesh Kumar Sinha

11/3/2019

For Horizon Heights Construction

Rakesh Kumar Sinha

11/3/2019

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद glazed टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरुम का जमीन संगमरमर का होगा। सेनेट्री पाईप SVR/ inner outer/ Tata A-class का आर्किटेक्ट के निदेशानुसार होगा।

रसोई घर :- हरा/काला/लाल संगमरमर/ग्रेनाईट का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24" उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बिजली व्यवस्था:- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाईंट (हेवल्स/एंकर/कोने का सभी सामान)।

लिफ्ट :- चार/छह व्यक्तियों का भार वहन करने योग्य लिफ्ट उच्च कोटि का ISI Mark होगा।

उपर्युक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है।

पूर्वोक्त finishing केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नही होगा।

अनुसूची III

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएं :-

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्वाईंट।
2. चौबीसो घंटे अपने ट्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकी से पानी की व्यवस्था।
3. सामूहिक सेवा के लिए प्रतीक्षारत जेनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्वाइंट (कनेक्शन नही)
5. फ्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें ताँबे का तार होगा।

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट निष्पादन के समय मो0 12,50,000/- (बारह लाख पचास हजार) रूपया का भुगतान जमीन मालिकगण को नन एडिजिसटेवल एवं नन रिफन्डेवल राशि के रूप में किया जा चुका है।

अविनाश कुमार पुत्र गीता देवी

11/3/2019

For Horizon Height Construction

Partner

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति मे सोच-समझकर निम्नलिखित गवाहो के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण: -

1. ASHOK Kumar 11/3/19
S/o. Sri. S. N. SINHA
Nehru Nagar
Patna –

2.
पिता ⇒ सुरेन्द्र कुमार सिंह
पत्र ⇒ नेहरू नगर
अंकुर कुमार

सतीश कुमार सिंह 11-3-2019
गीता देवी 11/3/19
पंकज कुमार सिंह
11/3/2019
Ranjana Kumari / Sangita
Sushila Sinha 11/3/19
Nilam 11/3/19

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION
Rakesh Kr Sinha
11-3-2019

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION
Santosh Kushwaha
11.3.19

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

For HORIZON HEIGHT CONSTRUCTION
Santosh Kushwaha
Partner

मुद्रित किया:-

(संजीव कुमार)
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

यह विलेख जमीन मालिक एवं विकासक के निदेश पर लिपिबद्ध किया गया है।

Jay Anand
Chamber of 11.03.2019 Advocate
(डॉ. अनिल कुमार सिन्हा "उद्योगी")
अधिवक्ता,
"चैम्बर", समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

For Horizon Height Construction
Rakesh Kr Sinha
Partner



Endorsement of Certificate of Admissibility

...ble under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ... Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'.Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

...mp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 376000/-**
...dl.Stamp duty paid under Municipal Act : **Rs. 0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	5000/-	
Amt.paid through Bank Challan	Rs.	392500/-	

Registration Fee

FEE PAID

A1	1000	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0		
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0		
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0		
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	LI	0				
								TOTAL-	21000		

	LLR + Proc Fee	Service Charge
LLR	0	
Proc.Fee	0	500
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 21500

Date: 11/03/2019

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 11th March 2019 by Gita Devi Late Arvind Kumar Singh by profession House Wife. Status - Executant

गीता देवी
11/3/19

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:11/03/2019**

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Ashok Kumar' age '44' Sex 'M', 'S.N Singh', resident of 'Nehru Nagar,behind Forest Office,sidheshwar Nagar,budha Colony,patna',), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 11/03/2019

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office, Patna in Book No. 1 Volume No. 64 on page no. 559 to 577 for the year 201 and stored in CD Volume No. 9 , year 2019. The document no. is printed on the front Page of the document.

बिहार सरकार

Token No. : 2951 **Year : 2019** **S.No. 2815 SCORE Ver.4.1**
Date : 15/03/2019

Deed Registering Offic
Patna

SCORE 4.1

DEED NO: 2815

For Horizon Height Constr...

Partner

PHIO-2951

Alice Ii

FBI HQ IZ-4 HEIGHT LOCATION
Sankalp Kapoor
Rahul Kumar

बिहार सरकार

Help

View GRN Details Live

Download e-Challan

GRN	BHR20190313074TM VIEW
DSRO CODE	**2800**
Party Name	**Horizon Heights Construction**
Stamp Duty-(R0030021030001)	**371000**
Registration & Other Fees-(R0030031040001)	**21000**
LLR & Proc Fee-(R0029008000006)	**0**
Challan Total Amount	**392000**
Status	**Success**
Payment Date	2019-03-11 11:26:06.0
CIN	00001532019031148918

For HORIZON HEIGHTS CONSTRUCTION
PARTNER

copyright © 2015 Registration, Excise & Prohibition Department

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

For Horizon Heights Construction
Partner





Ashok Kumar
11/3/19

पहचान सही

For Rakesh Kumar Saini

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



रंजना कुमारी
Ranjana Kumari

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1976
महिला / Female

9785 2206 0262

आधार — आम आदमी का अधिकार

Ranjana Kumari
(Ranjana Kumari)
11/3/2019

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता : W/O दिलीप कुमार, श्री गणेश राज अपार्ट., फ्ल.नं. ४०१,नेहरु नगर,पटना १३, नेहरु नगर, पाटलिपुत्र, पटना, बिहार, 800013

Address: W/O Dilip Kumar, SRI GANESH RAJ APT., F.NO 401,NEHRU NAGAR,PATNA 13, NEHRU NAGAR, Patliputra, Patna, Bihar, 800013

1947
1800 180 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

Address No. 1947, (Bangalore-560 001)

For Rakesh Kumar Sinha
Partner



सुशीला सिन्हा
Sushila Sinha

जन्म तारीख / DOB: 01/01/1968
महिला / Female

9558 2630 6125

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

पता: अजीतेश अजय कुमार सिंह
सुशीला सदन, रोड नं-4, महेश नगर
फुलवारी, फेसरी नगर, पटना, बिहार
800024

Address: W/O Ajay Kumar Singh, sushila sadan road no-4, mahesh nagar Phulwari, Patna Keshari Nagar, Bihar, 800024

9558 2630 6125

1947
1800 300 1947

www

Sushila Sinha
11/3/19
Horizon Construction
Partner

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



रवीन कुमार सिंह
Ravin Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 01/01/1964
पुरुष / MALE

9637 9848 3863

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: लालबाबू सिंह, हाउस न 11, सती स्थान मैनपुरा, गेट न 44, पाटलीपुत्र, पटना जी.पी.ओ., पटना, बिहार - 800001

Address
S/O: Lalbabu Singh, House No 11, Sati Sthan Mainpura, Gate No 44, Patliputra, Patna G.p.o., Patna, Bihar - 800001

9637 9848 3863

Rakesh Kumar Singh

रवीन कुमार सिंह
11/3/2019


भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

निलम कुमारी
Nilam Kumari
जन्म तिथि / DOB : 10-01-1974
महिला / FEMALE

5000 5064 1081

मेरा आधार, मेरी पहचान


आधार
UNIQUE IDENTIFICATION AUTH... OF INDIA

पता:
अर्धांगिनी: मनीष कुमार,
बॉम्बे सदन, आर,एम एस,
कॉलोनी, कंकड़बाग,
गोविन्दम स्वीट्स के पास,
अशोक नगर, पटना,
बिहार - 800020

Address:
W/O: Manish Kumar,
bombay sadan, r, m, s,
colony, kankarbagh, near
govindam sweets, Ashok
Nagar, Patna, Bihar -
800020

5000 5064 1081

1947
1800 300 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in

Nilam
11/3/19



भारत सरकार
Government of India

गीता देवी
Gita Devi
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1952
महिला / Female

8266 1225 5881

आधार - आम आदमी का अधिकार

गीता देवी
11/3/19

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
संबोधित: अरविन्द सिंह, मैनपुरा, मूर्ति मकान गेट न-49, फुलवारी, पटना जी.पी, पटना, बिहार, 800001

Address:
W/O: Arvind Singh, MAINPURA, MURTI MAKAN GATE no-49, Phulwari, Patna G.p, Patna, Bihar, 800001

8266 1225 5881

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

For Horizon Heights Construction
Partner



सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सुरेन्द्र कुमार सिंह
Surendra Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB: 06/06/1968
पुरुष / MALE

9064 8512 7174

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: लाल बाबु सिंह,
एच.न-206-ए, नेहरु नगर,
पाटलीपुत्रा, बोरिंगरोडपटना,
पटना,
बिहार - 800013

Address:
S/O: Lal Babu Singh, H.no-206-A,
Nehru Nagar, Patliputra, Boring
Road Patna, Patna,
Bihar - 800013

9064 8512 7174

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

सुरेन्द्र कुमार सिंह
उर्फ सुरेन्द्र कुमार सिंह
11-3-2019

For Horizon Height Construction
Partner